नगर निगम की लड़ाई के जरिए जयपुर की कांग्रेस में वर्चस्व साबित करने की होड़

इस जंग में जयपुर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दाव पर है

- जयपुर में दो काबीना मंत्रियों में वर्चस्व की लड़ाई रोक रही है निगम समितियों का गठन, पार्षदों का मनोनयन
- खाचरियावास निर्दलीय पार्षदों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, तो महेश जोशी चुप्पी साधे इंतजार में हैं

जयपुर, (का.प्र.)। जयपुर जिला कांग्रेस में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और पिछले दिनों जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदों को लेकर जो दौड़ शुरू हुई थी, वह वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुकी है। जिलाध्यक्ष की यही लड़ाई अब नगर निगम की समितियों के जरिए लड़ी जा रही है। हालांकि जयपुर के विधायकों में जयपुर नगर निगम हेरिटेज में समितियां बनाने को लेकर बातचीत का रास्ता तो निकाला गया है, लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि इसके जरिए अब लड़ाई बेहद दिलचस्प होती दिख रही है। पिछले दिनों काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरह से निर्दलीय पार्षदों को लेकर हमदर्दी दिखाने का प्रयास किया है, वह भी उसी लड़ाई का हिस्सा है। एक ओर तो जयपुर में कांग्रेस सरकार में पिछले तीन साल से जयपुर के एकमात्र काबीना मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि महापौर को निर्दलीय पार्षदों की बात सुननी पड़ेगी और महापौर पद पर कांग्रेस के चेहरे पर मिला है, खुद के चेहरे पर नहीं। यहां वे महापौर को निशाना बनाते हैं लेकिन दूसरी ओर सवाल यह उठ रहा है कि जिस महिला को पार्षद का टिकट खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सार्वजनिक रुप से खाचरियावास को उसी अपने क्षेत्र की पार्षद के महापौर बनने के बाद शिकायतें होने लगी हैं।

दूसरी ओर इस लड़ाई का एक हिस्सा हाल ही काबीना मंत्री बने महेश जोशी हैं। महेश जोशी भी अपने नजदीकी समर्थक को जयपुर का अध्यक्ष बनाने को लेकर दिल्ली तक जा चुके हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर दो हिस्सों में बांटने के बाद जयपुर के दो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं। ऐसे में अब महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों के ही विधानसभा क्षेत्र जयपुर हेरिटेज में आते हैं। अब दोनों नेता चाहते हैं कि जो भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जयपुर हेरिटेज में बने, वह उनका समर्थक हो।

अब यह लड़ाई सीधी नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे में नगर निगम की लड़ाई को माध्यम बनाया गया है। माध्यम इस तरह से कि प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि 1 साल होने के बावजूद नगर निगम की समितियां नहीं बनीं, तो सवाल यह उठता है, जो खुद कांग्रेसजन पूछते हैं कि आखिरकार समितियां बनाने से रोका किसने है। सरकार कांग्रेस की, नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस का, चार विधायक कांग्रेस के, तो फिर आखिरकार इन निगम की समितियों के आड़े कौन आ रहा है। जबकि दूसरी ओर जयपुर ग्रेटर निगम बोर्ड का गठन होने के कुछ दिनों बाद ही समितियों का गठन कर दिया गया था। ऐसे में जयपुर के कांग्रेसजनों की उंगलियां दोनों काबीना मंत्री और दो विधायकों पर ही उठती है कि इनमें एक राय नहीं होने का खामियाजा नगर निगम के पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है और समितियों का गठन नहीं होने से कार्यों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के साथ में 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। अब यह सभी अपने लिए चेयरमैनशिप मांग रहे हैं लेकिन यदि इन सभी को चेयरमैन बना दिया जाता है तो फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आने वाले पार्षद क्या इन सभी को स्वीकार कर लेंगे। इस उधेड़बुन का नतीजा है कि नगर निगम में समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।

कांग्रेसजनों का सवाल तो यह भी है कि जब पूरे राजस्थान में सरकार की ओर से मनोनीत होने वाले पार्षद बनाए जा चुके हैं तो आखिरकार क्या कारण है कि जयपुर के 2 नगर निगमों में अब तक पार्षदों का मनोनयन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे भी इन विधायकों की आपसी तनाव की स्थिति को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल जयपुर में कांग्रेस के जीते हुए विधायक अपने ज्यादा समर्थकों को मनोनीत पार्षद बनाना चाहते हैं। वहीं हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र से ज्यादा चेयरमैन बने। यह लड़ाई भी नगर निगम में हिस्सेदारी बांटने से रोक रही है।

अब क्योंकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला आने वाले दिनों में होना है, तो नगर निगम के जरिए दोनों काबीना मंत्री अपना वर्चस्व साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि यह सही है कि पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में महेश जोशी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। इसका कारण यह है कि महेश जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे विश्वस्त नेताओं में माने जाते हैं। वहीं कभी सचिन पायलट के नजदीकी माने जाने वाले और बाद में मुख्यमंत्री के नजदीक आ गए प्रताप सिंह खाचरियावास अपना मंत्री पद तो बचाने में सफल रहे, क्योंकि फेरबदल में किसी मंत्री को नहीं हटाया गया, लेकिन उनके विभाग के बंटवारे में निर्देश मिले कि वह अब पहले की तरह जयपुर में ताकतवर नहीं रहे। ऐसे में अब एक बार फिर जयपुर में नगर निगम की समितियों और जयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की लड़ाई में वर्चस्व साबित करने के लिए अपनी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस वर्ष की लड़ाई में शह-मात का खेल कहां तक जाता है।

रामू शर्मा के नेतृत्व में बांटे सचिन पायलट के फोटो छपे शॉल

प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजस्थान राज्य पंचायत परिषद के संयोजक रामू शर्मा ने गरीब, असहाय और फुटपॉथ पर खुले में गुजर-बसर करने वाले लोगों को शॉल वितरित किए। उन्होंने इस सहायता के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के प्रति अपना समर्थन भी जताया है। उन्होंने मंगलवार को सांगानेर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले करीब 2100 लोगों को सचिन पायलट की फोटो छपी शॉल वितरित की, ताकि वो लोग इस शीतलहर में ठंड से बच सकें। इस दौरान उनके साथ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व महामंत्री नीतू सैनी, कांग्रेस कार्यकर्ता गुड्डी पंडित, वार्ड 81 से पार्षद जय वशिष्ठ और रामजीलाल आदि भी मौजूद थे।

दस महीने में ही गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक को हटाया

इससे पहले जनस्वास्थ्य निदेशक के.के. शर्मा व औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को भी बदला गया था

- चिकित्सा विभाग में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्णयों को बदलने का सिलसिला जारी

जयपुर,(कासं)। चिकित्सा विभाग में पूर्व चिकित्सा मंत्री के निर्णयों को बदलने का काम लगातार जारी है। इसके तहत उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में अहम पदों पर की लगाए गए अधिकारियों और डॉक्टरों अब हटाने का सिलसिला जारी है।

विभाग के नए मंत्री परसादी लाल मीणा ने कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मंत्री डॉ.रघु शर्मा की अधिकांश नियुक्तियों को बदल दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. रामबाबू शर्मा को भी महज दस महीनों में ही पद से हटाया गया है। डॉ. रामबाबू शर्मा के स्थान पर कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एल. हर्षवर्धन को लगाया गया है और उन्हें कांवटिया अस्पताल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

चर्चा है कि गत सप्ताह चिकित्सा निदेशालय में शीर्ष पदों में हुए बदलाव के बाद डॉ. रामबाबू शर्मा की विदाई तय मानी जा रही थी। चिकित्सा महकमें में उनका हटाए जाने को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। बताया जा रहा है कि डॉ. शर्मा को इस पद पर जलदाय मंत्री महेश जोशी की सिफारिश पर लगाया गया था। वहीं गणगौरी अस्पताल महेश जोशी के निर्वाचन क्षेत्र में है। इसके चलते उन्हें पहले पद से नहीं हटाया गया। सूत्रों के अनुसार डॉ. शर्मा अधीक्षक के लिए हुए साक्षात्कार में चयनित होने के बाद इस पद पर लगाए गए थे। नियमानुसार अधीक्षक का कार्यकाल तीन साल का होता है। लेकिन उन्हें मात्र दस महीने में ही इस पद से हटा दिया गया।

अनियमितता की मिली थी शिकायत : चिकित्सा मंत्री

इस मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि महिलाओं को दिए जाने वाले सेनेटरी नेपकीन के मामले में चिकित्सा अधीक्षक की शिकायत मिली थी। इस बारे में क्षेत्र के लोगों ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्टोर में नेपकीन होने के बाद भी मरीजों को वितरित नहीं किए जाते और उन्हें बाहर दुकानों से नेपकीन लाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट में डॉ. रामबाबू शर्मा को दोषी माना गया था। इस मामले में ही उन्हें हटाया गया है।

मेरी कोई गलती नहीं : डॉ. रामबाबू शर्मा

वहीं डॉ. रामबाबू का कहना है कि इस मामले में मेरी गलती बताई जा रही है उसमें तो मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। नेपकीन देने का कार्य अस्पताल के गायनिक विभाग का है, इसमें चिकित्सा अधीक्षक क्या काम करेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले चिकित्सा मंत्री ने गत सप्ताह ही जनस्वास्थ्य निदेशक के.के. शर्मा को हटाकर उनके स्थान पर वी.के. माथुर को लगाया था। साथ ही उसी दिन औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के स्थान पर अजय फाटक की नियुक्ति की थी। ये दोनों ही अधिकारी पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नजदीकी माने जाते थे।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या नौ हजार से ऊपर ही बनी हुई है

राज्य में मंगलवार को 9711 नए संक्रमित मिले, इससे पहले सोमवार को 9236 रोगी पाए गए थे

- राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 2358 नए संक्रमित मिले हैं।
- जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536 और हनुमानगढ़ में 426 नए मरीज सामने आए हैं।
- दुखद बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में राज्य में करोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या पिछले कई दिनों से नौ हजार से ऊपर बनी हुई है। मंगलवार को राज्य में थोड़ी और वृद्धि के बाद 9711 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि इस बीच सात हजार से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में करोना की तीसरी लहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य के 33 जिलों में फिलहाल करोना के 69 हजार 388 सक्रिय मरीज मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा 19 हजार 686 रोगी जयपुर जिले में हैं। वहीं अलवर में 6169, जोधपुर में 4851, उदयपुर में 4065, बीकानेर में 3145, कोटा में 3123, भरतपुर में 3122, बाड़मेर में 2341, पाली में 2247 और अजमेर में 2201 तथा शेष जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज हैं।

प्रदेश में मंगलवार को 9711 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 9236 रोगी पाए गए थे। राज्य में पिछले कई दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 9 हजार के ऊपर ही बनी हुई है। इधर राजधानी जयपुर में आज कुछ और मामले बढ़ने के साथ 2358 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536, हनुमानगढ़ में 426, चित्तौड़गढ़ में 380, बीकानेर में 358, अजमेर में 270, चूरू में 252, बाड़मेर में 239, सवाई माधोपुर में 205 और सीकर में 204 नए संक्रमित मिले है। वहीं प्रतापगढ़ में 125, टोंक में 121, जैसलमेर में 117, धौलपुर में 115, बारां में 101, झालावाड़ में 94, भीलवाड़ा में 90, दौसा व नागौर में 85-85, श्रीगंगानगर में 84, सिरोही में 68, बूंदी में 53, डूंगरपुर में 47, झुंझुनूं 38, राजसमंद में 31, जालौर में 25, करौली 17 और बांसवाड़ा में 9 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 10 लाख 56 हजार 606 संक्रमित मिल चुके हैं। इधर राज्य में पिछले 4-5 दिन से रिकवरी में सुधार हो रहा है। इसके चलते मंगलवार को 7 हजार 56 और मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9 लाख 78 हजार 199 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। हालाकि दुखद बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में राज्य में करोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें जयपुर और जोधपुर में 2-2 जबकि अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा तथा करौली में 1-1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में तीसरी लहर के दौरान जनवरी के 18 दिनों में ही करोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जनवरी को प्रदेश में करोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 8964 जो अब बढ़कर 9019 हो गई है।

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि आमजन के साथ-साथ विशेषज्ञों की राय बनती जा रही है कि ओमक्रॉन डेल्टा के जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों के कोई लक्षण नहीं हैं वो डॉक्टर की सलाह से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। हालाकि जिनके बुखार, सिरदर्द, खांसी-जुकाम व बदन दर्द जैसे लक्षण हैं उन्हें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।

जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों का हो सर्वांगीण विकास : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तात्कालिक और दीर्घकालिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रारम्भ कैशलेस उपचार की सुविधा का सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता जता। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कार्य में तेजी लाते हुए योजना से नहीं जुड़ पाए परिवारों को जल्द से जल्द पंजीकृत किए जाने पर भी जोर दिया।

मिश्र मंगलवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं समस्याओं के संबंध में विशेष समीक्षा बैठक में ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समूहों को हर सम्भव सहायता प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा छात्रवृति समय पर मिले, इसकी व्यवस्था प्रभावी रूप में सुनिश्चित हो।

उन्होंने छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की ऐसी आदर्श व पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाने पर जोर दिया जिसमें यथासंभव वित्त वर्ष समाप्त होने के साथ ही राशि विद्यार्थी के खाते में जमा हो जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन पत्र को कमी या त्रुटि हो तो उसे निरस्त करने के स्थान पर उसकी पूर्ति करवा शीघ्र विद्यार्थी को लाभान्वित करने का प्रयास होना चाहिए।

राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के समग्र विकास के लिए योजनाओं का व्यावहारिक क्रियान्वयन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार अपनाते हुए ऐसे स्थानों पर अधिकाधिक आदर्श गांव बने। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सी.एस.आर. के तहत उच्च पदों पर चयन के लिए बेहतर से बेहतर कोचिंग सुविधा दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के 5 हजार 696 गावों में से 49 गाँवों को मॉडल विलेज बनाने के बारे में जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के छात्रावासों में स्वच्छता की प्रभावी व्यवस्था के साथ वहां रहने की अच्छी सुविधाओं का विकास किए जाने के भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श गावों की प्रगति की मासिक सूचना राजभवन को मिले।

इस माह के अंत तक छह प्रधान खनिजों की नीलामी प्रक्रिया होगी शुरू : डॉ. अग्रवाल

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि इस माह के अंत तक कॉपर, मेग्नेसाइट, लाईमस्टोन, मेंगनीज और गारनेट के छह प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समय एक कॉपर व छह लाईम स्टोन प्रधान खनिजों की ई नीलामी की प्रकिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से माइंस विभाग की वर्चुअल बैठक ले रहे थे। झुंन्झुनूं व नागौर के दो दो लाईम स्टोन ब्लॉकों का नीलामी नोटिस जारी किया जा चुका है और 24 जनवरी से 28 जनवरी के दौरान इस चारों ब्लाकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह से एक कॉपर व दो लाईम स्टोन ब्लाको की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरु की जा चुकी है और आगामी 7 से 9 फरवरी के दौरान इन ब्लाकों की भी भारत सरकार के ई नीलामी पोर्टल पर नीलामी होगी।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय-समय पर आयोजित माइंस विभाग की समीक्षा बैठकों में खनिज खोज व खनन गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाते रहे है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री गहलोत खनन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से भी समय-समय पर रुबरु होते हुए फीडबेक लेते रहे हैं। उन्होंने बताया कि खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया नियमित रुप से विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। खनन क्षेत्र में यह वर्ष विशेष उपलब्धियों का रहेगा। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार की संबंधित संस्थाओं से भी समन्वय बनाया हुआ है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नरसी का पीडीएफ में चयन हुआ

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव नरसी किराड़ को पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप(पीडीएफ) के लिए चयन हुआ। आइसीएसएसआर की ओर से जारी इस सूची में नरसी सहित देश भर से 200 लोगों का चयन हुआ। देश भर के 75 हजार छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था। जिसमें राजस्थान से नरसी सहित 4 लोग शामिल हैं।

नाम परिवर्तन

मेरी 10वीं की अंक तालिका में मेरा नाम मानवेन्द्र सिंह अंकित है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड में मेरा नाम मानवेन्द्र सिंह राव है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे हैं। अत भविष्य में मुझे उपरोक्त दोनों नामों से जाना जाए। पता- 06, मां करणी नगर-ए, वैशाली, जयपुर, राजस्थान

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 143/2022
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री ताराचन्द चौहान निवासी मकान नम्बर 9/135 सिन्धी सागर, कुंऐ के सामने, सांगानेर जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रजत चौहान स्पोर्टस फाउण्डेशन ट्रस्ट जिला जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 22.03.2022
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 14529 जाहिर आम सूचना दि. 17.01.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 85/188 (EWS), (एरिया 36.00 वर्गमीटर), प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री अन्जना कुमारी पुत्री श्री कोडूमल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 610 दिनांक 04.06.1996 के द्वारा जारी किया गया था। श्री किशन सोमाणी पुत्र श्री नारायण के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 195 दिनांक 04.05.2001 के द्वारा किया गया एवं श्री किशन सोमाणी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15.05.2001 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री किशन सोमाणी द्वारा श्री कैलाशचंद पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा को दिनांक 31.07.2006 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री कैलाशचंद द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 02.02.2007 के द्वारा श्री देवराज शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री देवराज शर्मा द्वारा श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा को दिनांक 21.05.2007 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री दीपक शर्मा द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 01.10.2008 के द्वारा श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री कोटूमल को विक्रय कर उप पंजीयक-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री अश्वनी कुमार द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक 06.05.2009 को श्रीमती शुभांगना राज सावलानी पत्नी श्री राजकुमार सावलानी के नाम किया जाकर विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार-जयपुर-पंचम, में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती शुभांगना राज सावलानी की मृत्यु दिनांक 26.08.2017 को हो जाने के कारण अपने वारिसान श्री मिहिर सावलानी पुत्र श्री राजकुमार द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री मिहिर सावलानी पुत्र श्री राजकुमार का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 42/21
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम राजू देवी पत्नि रामचन्द सैनी जाति माली विवाद स्थान बोरडी की ढाणी, मान्यावास, मानसरोवर तहसील सांगानेर, जयपुर
मृतक रामचन्द सैनी सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 2.2.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामचन्द सैनी पुत्र सीताराम सैनी जाति माली निवासी 69, तौजा विहार, मान्यावास, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 02 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 20 माह 12 सन् 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

खोया पाया

मकान नम्बर 65/176 एलआईजी का मूल अदेय प्रमाण पत्र गिर गया है। मिलने पर सूचित करें। सुनील नागर-मो. 6367644689

मैं मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री दशरथ कुमार जैन पता-3च17, सेक्टर-3, जवाहर नगर, जयपुर। मेरे प्लॉट नं. 30ए, मां हिंगलाज नगर सी, गांधी पथ, जयपुर के मूल दस्तावेज कहीं गिर गए है। मिलने पर सूचित करें। मो. 9214820897

मकान 173/261 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का ओरिजनल अलाटमेन्ट लैटर, पजेशन लैटर, भौतिक कब्जे कि प्रति, अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गये है मिलने पर सम्पर्क- जगदीश प्रसद बैरवा-9829284582

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
45/2021
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ इडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्रीमती मन्जू अग्रवाल पत्नि सतीश कुमार जाति महाजन
विवाद स्थान- 79, रामनगर A, टोल टैक्स, टोंक रोड, प्रताप नगर, जयपुर,
मृतक सतीश कु. अग्रवाल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 03.03.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र दूलीचन्द जाति महाजन निवासी- 79, रामनगर ए, टोल टैक्स, प्रताप नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जाये।
अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-14550 दिनांक-18.01.2022
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना ने आवास संख्या 36/103 (HIG), (एरिया 144.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री विष्णु वल्लभ सुखवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल सुखवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 464 दिनांक 24.05.2002 को जारी किया गया। श्री विष्णु वल्लभ सुखवाल की मृत्यु दिनांक 24.01.2020 को हो जाने के कारण इनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री अभिषेक सुखवाल पुत्र स्व. श्री विष्णु वल्लभ सुखवाल द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अभिषेक सुखवाल पुत्र स्व. श्री विष्णु वल्लभ सुखवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत भगवतगढ पंचायत समिति
चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर (राज.)
क्रमांक/ग्रा.पं./2021-22/58 दिनांक 17.01.22
संशोधित ई-निविदा सूचना संख्या-01/2021
ग्राम पंचायत भगवतगढ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु आनुसांगिक सामग्री आपूर्ति/ निर्माण उपकरण/ निर्माण मशीनरी सेवाओं इत्यादि हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धति से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
सरपंच, ग्राम पंचायत भगवतगढ, पं. स. चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भगवतगढ, पं. स. चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	28773667	गृह ऋण	1. रीतिका जैन 2. दीपक प्रकाशचंद	05.01.2022	5,51,661.32/-	फ्लैट नं. ई.बी. 212, दूसरी मंजिल, टावर बी, सुपर बिल्ट अप ऐरिया 458.49 वर्गफिट तथा बिल्ट अप एरिया 349.20 वर्ग फिट, रिहायशी प्रोजेक्ट "गोविन्दम जयसिंहपुरा" खसरा नं. 682, 683, 685, 686, पार्ट-684, पार्ट-687, पार्ट-688/1147, ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-अन्य भूमि, पश्चिम-अन्य भूमि, उत्तर-प्रस्तावित रोड-200' तथा अन्य भूमि, दक्षिण-रोड-60'
2	33014248	गृह ऋण	1. संजीव कुमार 2. हेमा गुर्जर	05.01.2022	22,30,402.44/-	रिहायशी प्लाट नं. 22, क्षेत्रफल 90 वर्गगज, अर्थात 75.25 वर्गमीटर, गोविन्द नगर एक्स, कालवाड रोड, हाथोज, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग तथा सीमायें है-पूर्व-अन्य प्लाट, पश्चिम-रोड 30 फिट चौड़ी, उत्तर-प्लाट नं. 23, दक्षिण-प्लाट नं. 21

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 19.01.2022
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)